न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 48/2021/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 8.1.2021
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. मोतीशंकर आत्मज प्रभूलाल जाति तेली निवासी काशीपुरा तहसील नैंनवा जिला बूंदी हाल इन्द्रगढ जिला बूंदी।
2 मदनलाल
3. भंवरलाल
4. तेजमल
5. मोहनलाल

पिसरान बिरधीलाल जाति तेली निवासीगण काशीपुरा हाल इन्द्रगढ जिला बूंदी।

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. प्रधान पुत्र काशीराम पौत्र जयकिशन मीणा निवासी काशीपुरा तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
2. अम्बालाल
3. भरोसीलाल
4. बापूलाल

पिसरान जयकिशन जाति मीना निवासीगण काशीपुरा तहसील नैंनवा जिला बूंदी।

5. बाबूलाल आत्मज प्रभूलाल तेली निवासी हाल खाती मोहल्ला नगर पालिका कालोनी बांरा जिला बांरा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नैंनवा जिला बूंदी।

..... रेस्पो0

उपस्थित : श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री महेश योगी अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 8.3.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 1/प्रार्थना पत्र/05 अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 बउनवान जयकिशन बनाम राज0 सरकार, बिरधीललाल वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 16.11.2006 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि जयकिशन द्वारा प्रभूलाल आ0 भोलू तेली इन्द्रगढ को आवंटित भूमि खसरा संख्या 237 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं ख0 नं0 250 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा कुल 14 बीघा 7 बिस्वा ग्राम काशीपुरा का दिनांक 13.5.86 को किये गये भूमि आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 का अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। जिसे अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी आवंटी का व्यवसाय कृषि नही होना प्रमाणित होने तथा आवंटी इन्द्रगढ तहसील का निवासी होते हुये उसके ग्राम काशीपुरा तहसील नैंनवा मे बिना इन्द्रगढ मे स्थित भूमि की रिपोर्ट प्राप्त किये आवंटन किया जाना नियम विरूद्ध होने से प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) निर्णय दिनांक 16.11.06 से स्वीकार कर प्रभूलाल आ0 भोलू तेली निवासी इन्द्रगढ को किया गया आवंटन दिनांक 13.5.86 निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि स्व0 प्रभूलाल तेली को किया गया उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है क्योंकि उनको भूमि का आवंटन नियमानुसार किया जाकर भूमि पर दखल दिया गया है जब तक प्रभूलाल जीवित रहे उक्त भूमि को काश्त करते रहे उनकी मृत्यु के उपरांत से अपीलांट रेस्पो0 नं0 5 जो स्व0 प्रभूलाल के वारिस है काबिज काश्त है। आवंटन के समय स्व0 प्रभूलाल ग्राम काशीपुरा मे निवास करते थे तथा वही मजदूरी करते थे। स्व0 प्रभूलाल के द्वारा आवंटन फार्म मे सही जानकारी दी गई थी। तथा बाद जांच उक्त आवंटित आराजी का इन्तकाल गैरखातेदारी का उनके पक्ष मे तस्दीक किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के नही मानकर जेरअपील आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है जो काबिल निरस्तनीय है। जयकिशन द्वारा 14 (4) की कार्यवाही दि0 10.1.05 को आवंटन के काफी अरसे बाद की है जबकि आवंटन 1986 का है ऐसी स्थिति मे विवादित आराजी पर जयकिशन का कोई हक एवं अधिकार नही है तथा ना ही उसका वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा है। इस संबध मे उसने अधीनस्थ न्यायालय मे कोई रेकार्ड भी प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार जयकिशन के आधारहीन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 14.1.2013 को उक्त भूमि से कब्जा छोडने व आवंटन निरस्त होने की बात कहने पर सर्वप्रथम जानकारी होने पर दिनांक 24.1.2013 को नकल प्राप्त होने पर अपील पेश की गई। अतः जानकारी की दिनांक व नकल प्राप्ति की दिनांक के मध्य की अवधि मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश की है। अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बूंदी के जेरअपील आदेश दिनांक 16.11.2006 को निरस्त किया जाकर आवंटन बहाल रखे जाने की इस्तदुआ की गई।

3 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि ग्राम काशीपुरा की कृषि भूमि खसरा संख्या 237 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं ख0 नं0 250 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा कुल 14 बीघा 7 बिस्वा का स्व0 प्रभूलाल को आवंटन नियमानुसार सम्पूर्ण कर किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय बिना किसी आधार के जयकिशन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14(4) को जेरअपील निर्णय दिनांक 16.11.2006 से स्वीकार कर आवंटन निरस्त करने मे त्रुटि की है। नियम 14 (4) का क्षेत्र सीमित है जयकिशन द्वारा तथ्य छिपाकर आवंटन निरस्त करवाया है। प्राईवेट व्यक्ति यदि आवंटन के संबध मे कोई शिकायत करता है तो उसको यह साबित करना होगा कि उक्त आवंटित भूमि मे उसका हित किस प्रकार निहित है व आवंटन तथ्य छुपाकर या गलत तरीके से तो नही करवाया गया। उक्त आधार प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

आवंटन के संबध मे पुनः विचार कर सकता है। जयकिशन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ऐसे कोई आधार प्रस्तुत नही किये गये तथा ना ही ऐसे कोई आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध थे। बहस मे आगे बताया कि विवादित आराजी पर जयकिशन का कोई हक एवं अधिकार नही है तथा ना ही उसका वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा है। इस संबध मे उसने अधीनस्थ न्यायालय मे कोई रेकार्ड भी प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार जयकिशन के आधारहीन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। आवंटन समिति द्वारा अपीलांट को पात्र मानते हुये आवंटन विधि पूर्वक किया गया था अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर अपीलांट का आवंटन निरस्त कर कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि पर उसका काफी पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटी काशीपुरा का निवासी नही है अपितु इन्द्रगढ का निवासी है। आवंटी का निधन हो जाने से उसके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। आवंटी का व्यवसाय भी कृषि नही है उसके जीवनकाल वह परचूनी की दुकान लगाता था। आवंटन तथ्य छिपाकर करवाया गया है। आवंटी सद्भावी कृषक नही था। आवंटी व उसके वारिसान का कभी भूमि पर कब्जा नही रहा। उक्त तथ्यों का सम्पूर्ण विवेचन करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय से आवंटन निरस्त किया है जो न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र पेश कर वर्णित किया कि जेरअपील सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा भूमि पर से कब्जा छोडने व आवंटन निरस्त हो जाने की दिनांक 14.1.2013 को बात कहने पर हुई। निर्णय की दिनांक 24.1.2013 को नकल मिलने पर अपील पेश की गई। अतः जानकारी की तिथी से नकल प्राप्त होने की दिनांक तक की अवधि मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश की है। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित उक्त तथ्यों का खण्डन नही किया है तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। आवंटन आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि स्व0 प्रभूलाल को वादग्रस्त आराजी का दिनांक 13.5.86 को आवंटन परार्मश दात्री समिति द्वारा खसरा संख्या 237 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं ख0 नं0 250 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा कुल 14 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि ग्राम काशीपुरा का आवंटन किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 16.11.2006 से निरस्त किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि आवंटी को पात्र मानते हुये आवंटन नियमानुसार सभी तथ्यों की सम्पूर्ण जांच कर आवंटन कमेटी द्वारा किया गया था। जयकिशन द्वारा तथ्य छिपाकर आवंटन निरस्त करवाया है। प्राईवेट व्यक्ति यदि आवंटन के संबध मे कोई शिकायत करता है तो उसको यह साबित करना होगा कि उक्त आवंटित भूमि मे उसका हित किस प्रकार निहित है व आवंटन तथ्य छुपाकर या गलत तरीके से तो नही करवाया गया। उक्त आधार प्रार्थना पत्र के

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

साथ प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय आवंटन के संबध मे पुनः विचार कर सकता है। जयकिशन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ऐसे कोई आधार प्रस्तुत नही किये गये तथा ना ही ऐसे कोई आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध थे। विवादित आराजी पर जयकिशन का कोई हक एवं अधिकार नही है तथा ना ही उसका वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा है। इस संबध मे उसने अधीनस्थ न्यायालय मे कोई रेकार्ड भी प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार जयकिशन के आधारहीन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। पत्रावली मे उपलब्ध आवंटन आवेदन पत्र, आवंटन आदेश तथा जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवंटी ने स्वयं आवेदन पत्र मे इन्द्रगढ तहसील का निवासी होना अंकित किया है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार भी आवंटी इन्द्रगढ का ही निवासी जिसे ग्राम काशीपुरा की वादग्रस्त आराजी का आवंटन किया गया है। आवंटन से पूर्व इन्द्रगढ मे भूमि होने अथवा नही होने बावत कोई रिपोर्ट नही ली गई। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटी का व्यवसाय कृषि होना प्रमाणित नही होने तथा आवंटी इन्द्रगढ तहसील का निवासी होते हुये उसे ग्राम काशीपुरा तहसील नैंनवा मे बिना इन्द्रगढ मे स्थित भूमि की रिपोर्ट प्राप्त किये आवंटन किया जाना नियम विरूद्ध होने से आवंटी प्रभूलाल आ0 भोलू तेली निवासी इन्द्रगढ को किया गया आवंटन दिनांक 13.5.86 जेरअपील निर्णय से निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने जेरअपील निर्णय दिनांक 16.11.2006 मे प्रकट उक्त अभिमत को हम न्यायोचित एवं विधिसम्मत पाते है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 8.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

8.3.21

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा